

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

श्रीलाल

केसम प्रकरण : राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रभुराम वगैरह

मुकदमा नं. 262 / 2024

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
2.03.2026	<p>प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी ने प्रकरण हाजा में पक्षकारान के मध्य में आपसी सहमति से राजीनामा होना जाहिर किया तथा वाद पत्र को आगे नहीं चलाने बाबत एवं आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>पत्रावली में प्रतिवादीगण पक्षकारान की ओर से काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य में राजीनामा हो जाने से प्रकरण हाजा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद अधीन धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	